

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-1245/30-3-2012-19एन/09टी0सी0-1


लखनऊ: दिनांक 26 अक्टूबर, 2012

अवसंरचना

चूंकि नोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) के अंतर्गत उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोग के क्रियान्वयन की दृष्टि से परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटर यानों को चलाने हेतु चालक अनुज्ञप्तियों (ड्राइविंग लाइसेंस) को जारी करने का कर्तव्य विधिक रूप से सौंपा गया है।

और चूंकि, राज्य सरकार ने राज्य में समस्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों के कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड टाइप चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) जारी करने हेतु अवसंरचना स्थापित कर ली है।

अतएव, अब केन्द्रीय नोटर यान नियम, 1989 के नियम 16 के उप-नियम (2) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त नियम में यथा विहित चालक अनुज्ञप्तियों (ड्राइविंग लाइसेंस) जारी किया जाना या नवीकरण, अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों के समस्त कार्यालयों में प्रारूप-7 में जारी किया जायेगा।


(बी0ए:स0भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.1245/30-3-2012-19M/09T.C. dated 26.3.2012.

NOTIFICATION

No. 1245/30-3-2012-19M/09T.C.-1

Dated Lucknow 26.3.2012

WHEREAS with a view to implementing the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no 59 of 1988) and the rules made thereunder, the Transport Department, Government of Uttar Pradesh is statutorily intrusted with the duty of issuance of driving licences for driving of motor vehicles.

AND, WHEREAS the State Government has established the infrastructure for the issuance of Smart Card type driving licence in the offices of all the licencing authorities in the State.

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of sub rule (2) of rule 16 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 the State Government, hereby specifies that issuance or renewal of driving licences as prescribed in the said rule shall be issued in Form 7 in all the offices of licencing authorities.

By order,



(B.S. Bhullar)
Pramukh Sachiv.

संख्या-1245 (1) / 30-3-2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया, इस अधिसूचना को दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-3, कक्ष संख्या-320, शासन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सहायक)
उप सचिव

संख्या-1245 (2) / 30-3-2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (10 प्रतियों)।
- (2) समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- (4) विधायी अनुभाग-1
- (5) सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- (6) अध्यक्ष, स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सहायक)
उप सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश

संख्या-57(वी) प्रम्यु/सेल/2012-19कंसो(सारथी)07

लखनऊ दिनांक: नवम्बर, 05 2012

प्रतिलिपि- समस्त अधिसूचना संख्या- 1245/30-3-2012-19एम/09टीसी-1 दिनांक- 26.10.2012 की प्रति सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-3, सचिवालय, लखनऊ
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
3. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश
4. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
5. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
6. मुख्यालय के समस्त अधिकारी (परिवहन आयुक्त के अतिरिक्त)
7. वैयक्तिक सहायक, परिवहन आयुक्त

SO-10

(रमा शंकर मिश्र)
सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश